आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 69/2021 (विविध प्रार्थना पत्र)

श्री नितिन कुमार एडवोकेट रिसीवर, चैम्बर नं. 735–एल, वेर्स्टन विंग, तीस हजारी, कोर्ट, न्यू देहली एवं चैम्बर नं. 311, ब्लॉक–सी, लायर्स चैम्बर, देहली हाई कोर्ट, न्यू देहली।

प्रार्थी

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मिड कार्पोरेट शाखा, रॉयल सुन्दरम–1, विवेकानन्द मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर ।

अप्रार्थी

विविध प्रार्थना पत्र मैसर्स स्वास्तिक कोपर प्रा. लि. की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में बन्धक सम्पत्तियों बाबत धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आपत्ति प्रार्थना पत्र

उपस्थित–

1. प्रार्थी अधिवक्ता स्वयं उपस्थित है।

(जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.))

आदेश दिनांक 15.02.2021

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 359/2021, 260/2020, 361/2020 एवं 362/2020 ब उनवानी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम स्वास्तिक कोपर प्रा. लि. में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया ।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आर्बीट्रेशन केश नम्बर ARB//JAN/01/2020 मैसर्स ग्लोबल टैक इन्जीनीयर एण्ड कन्सलटेन्ट बनाम मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्रा. लि. में अन्तरिम आदेश दिनांक 09.10.2020 के अनुसार प्रार्थी पूर्व से ही स्वास्तिक कॉपर की सम्पत्तियों पर रिसीवर नियुक्त है तथा सम्पत्तियों का कब्जा प्रार्थी रिसीवर के पास है। सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है–(1) एफ–28(के) मालवीय नगर इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर फक्ट्री एवं भूमि वं भवन मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्रा. लि. के नाम (2) प्लाट नं. जे–306, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फैक्ट्री एवं भूमि व भवन मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्रा. लि. के नाम (3) ई–1, 1274 फेज–तृतीय सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्रा. लि. के नाम एवं (4) अपार्टमेन्ट नं. 611, छठी मंजिल प्लाट नं. 6, महिमा फाउन्टेन स्कवायर, जवाहर सर्किल जयपुर श्री संदीप जैन के नाम स्थित सम्पत्ति का कब्जा रिसीवर के अलावा किसी अन्य को नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी की आपत्ति रिकार्ड पर लेते हुये आदेश पारित किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

प्रार्थी द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्रा॰ लि॰ की बन्धक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत चार प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे, जो प्रार्थना पत्र संख्या 359/2020, 260/2020, 361/2020 एवं 362/2020 व उनवानी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम स्वास्तिक कोपर प्रा॰ लि॰ के नाम दर्ज किये गये। बैंक की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के उक्त प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 28.01.2021 को उभय पक्ष प्रार्थी बैंक एवं अप्रार्थी ऋणी मैसर्स स्वास्तिक कोपर प्रा॰ लि॰ को सुना जाकर आदेश पारित किये चुके है। प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं आपत्तियों को सरफेशी अधिनियम के तहत तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण को है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा सम्बन्धित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

7. आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर